बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

।। संकल्प ।।

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक 6639, दिनांक 29.07.2025 के द्वारा श्री श्यामानन्द ठाकुर, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली (प्रतिनियुक्ति कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना) सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली के पदस्थापन काल में खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अन्तर्गत धान/चावल अधिप्राप्ति में निगरानी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में कमी तथा विभागीय निदेशों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आरोप पत्र गठित कर विभाग को प्रेषित किया गया। तत्संबंधी आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17(3) के तहत श्री ठाकुर के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–4345 दिनांक–22.08.2025 द्वारा आरोप पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण पूछा गया।

उक्त के संबंध में श्री ठाकुर द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा की गई। दिनांक–24.07.2025 की स्थिति पर वैशाली जिले में कुल CMR 26825.15 MT के विरूद्ध 21339.83 (79.18 %) CMR SFC को जमा किया गया जो राज्य औसत 89.17 % से कम पाया गया। यह भी पाया गया कि जिले में दैनिक लक्ष्य के अनुरूप चावल की आपूर्ति नहीं की जा रही है। समीक्षोपरान्त श्री ठाकुर से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकार पाते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि श्री श्यामानन्द ठाकुर, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की जायेगी।

चूँकी श्री ठाकुर दिनांक–31.08.2025 को वार्धक्य सेवानिवृत हो चुके है। अतः बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43(बी) के तहत श्री ठाकुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री सुभाष कुमार, अपर निबंधक–सह–परामर्शी (योजना), बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री राजीव गुप्ता, अवर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री ठाकुर से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री सुभाष कुमार, अपर निबंधक–सह–परामर्शी (योजना), बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं आरोप–पत्र की एक–एक प्रति (साक्ष्य सहित) श्री सुभाष कुमार, अपर निबंधक–सह–परामर्शी (योजना), बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी /श्री राजीव गुप्ता, अवर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री श्यामानन्द ठाकुर, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली (प्रतिनियुक्ति कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना) सम्प्रति सेवानिवृत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(कुमारी आरती)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :.../ पटना, दिनांक :..................................

8/नि०को०(रा०)विभागीय–725/2025

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री सुभाष कुमार, अपर निबंधक–सह–परामर्शी (योजना), बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :.../ पटना, दिनांक :..................................

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री राजीव गुप्ता, अवर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :.../ पटना, दिनांक :..................................

निबंधित

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री श्यामानन्द ठाकुर, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली (प्रतिनियुक्ति कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना) सम्प्रति सेवानिवृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :.../ पटना, दिनांक :..................................

प्रतिलिपि :– निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 6639, दिनांक 29.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :......5880......../ पटना, दिनांक :...26/11/25....

प्रतिलिपि :– लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

24/11/25

विशेष कार्य पदाधिकारी।

24-11-2025

(96)

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक 4345 /पटना, दिनांक 22/08/2025
08/नि0को0(रा0)विभागीय–725/2025

प्रेषक,

कुमारी आरती,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

श्री श्यामानन्द ठाकुर,
तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली।
सम्प्रति सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, हाजीपुर
(प्रतिनियुक्त कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना)।

विषयः– स्पष्टीकरण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली के पदस्थापन काल में खरीफ विपणन मौसम 2024–25 के अंतर्गत निगरानी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में कमी एवं विभागीय आदेश का अनुपालन नहीं करना के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17(3) के तहत आपके विरूद्ध आरोप पत्र गठित किया गया है।

अतः आरोप पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 समय–समय पर यथा संशोधित के नियम 17(4) के अन्तर्गत आरोप पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण विभाग को 15 दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करें अन्यथा समझा जायेगा कि इस मामले में कुछ नहीं कहना है और आपके विरूद्ध उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
21/08/25
(कुमारी आरती)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक 4345 /पटना, दिनांक 22/08/2025
प्रतिलिपिः–निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को उनके कार्यालय पत्रांक–6639 दिनांक–29.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/08/25
विशेष कार्य पदाधिकारी।

1543
21-08-2025

परिशिष्ट–1

<u>आरोप–पत्र</u>

(1) प्रथम भाग–सरकारी सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ

1. नाम	:–	श्री श्यामानन्द ठाकुर
2. पदनाम	:–	~~जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली~~
3. जन्म तिथि	:–	27.08.1965
4. सेवा निवृत्ति की तिथि	:–	31.08.2025
5. सेवा/संवर्ग का नाम	:–	बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा
6. पद समूह एवं विभाग	:–	क/सहकारिता विभाग
7. वरीयता क्रम/सिविल लिस्ट क्रमांक	:–	107/2025
8. वेतन बैंड एवं ग्रेड पे/वेतन स्तर	:–	लेवल–11
9. आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन	:–	2024–25, जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली
10. बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43बी के तहत कालबाधित होने की तिथि	:–	लागू नहीं।

20/08/25

(कुमारी आरती)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

(2) द्वितीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का सार

1. **निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में कमी:–** खरीफ विपणन मौसम 2024–25 में जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली के पद पर पदस्थापन अवधि में जिले में कुल 71 समितियों द्वारा 6023 किसानों से 39633.10 मे0टन धान की अधिप्राप्ति किया गया। समतुल्य चावल 26825.15 मे0टन के आलोक में विस्तारित अवधि दिनांक 24.07.2025 तक 21339.83 मे0टन चावल की आपूर्ति की गई है, जो लक्ष्य का मात्र 79.18 प्रतिशत है, जबकि राज्य का प्रतिशत 89.17 है। चावल आपूर्ति की अंतिम तिथि दिनांक 10.08.2025 निर्धारित है।

दिनांक 10.07.2025 तक आपके जिले में कुल अवशेष चावल 7347.84 मे0टन के आलोक में 1762.52 मे0टन चावल की आपूर्ति विगत दो सप्ताह में की गई है, जो अवशेष आपूर्ति का मात्र 24 प्रतिशत है।

दिनांक 25.07.2025 के प्रतिवेदनानुसार अवशेष दिनों के लिए वैशाली जिले का दैनिक लक्ष्य 328.25 मे0टन के आलोक में दिनांक 21.07.2025 को 143.57 मे0टन, दिनांक 22.07.2025 को 138.45 मे0टन, दिनांक 23.07.2025 को 143.57 मे0टन एवं दिनांक 24.07.2025 को 143.57 मे0टन चावल की आपूर्ति की गई है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित लक्ष्य के आलोक में आपके जिले में चावल की दैनिक आपूर्ति समितियों द्वारा नही की जा रही है। उक्त कृत्य से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा समितियों का निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नही किया जा रहा है।

2. **विभागीय आदेशों का अनुपालन नहीं करना:–** कार्यालय पत्रांक–1635 दिनांक–20.02.2025, पत्रांक–3137 दिनांक–07.04.2025, पत्रांक–3603 दिनाक–24.04.2025, पत्रांक–3953 दिनांक–07.05.2025, पत्रांक–4064 दिनांक–09.05.2025, पत्रांक–4618 दिनांक–27.05.2025, पत्रांक–5819 दिनांक–04.07.2025 एवं दैनिक वीडियों कॉन्फ्रेंस बैठक में चावल आपूर्ति में वांछित प्रगति लाने हेतु दिए गए निदेशों के बावजुद भी चावल आपूर्ति में वांछित प्रगति नही हो पा रही है।

3. आपका उपरोक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम–3(1)(i), (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल है।

2.01.08.25

(कुमारी आरती)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

(3) तृतीय भाग--अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन

1. **निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में कमीः--** खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4501 दिनांक 09.10.2024 द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्थान्तर्गत धान/चावल अधिप्राप्ति की कार्य योजना एवं मार्गदर्शिका निर्गत है एवं उक्त मार्गदशिका के आलोक में अधिप्राप्त धान के समतुल्य चावल की आपूर्ति निर्धारित अवधि अन्तर्गत किया जाना है। कार्य योजना एवं मार्गदर्शिका के कंडिका-11(I) एवं कंडिका-2 (XXVI) में उल्लेखित है कि फोटिफाईड चावल की शतप्रतिशत मात्रा प्राप्त कर निर्धारित समय-सीमा अन्तर्गत राज्य खाद्य निगम को जमा कराना है। साथ ही, उक्त पत्र में जिला सहकारिता पदाधिकारी को यह दायित्व दिया गया है कि धान/चावल अधिप्राप्ति का सतत् निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जाए। परन्तु आपके जिले में कुल 71 समितियों द्वारा 6023 किसानों से 39633.10 मे0टन धान की अधिप्राप्ति किया गया। समतुल्य चावल 26825.15 मे0 टन के आलोक में विस्तारित अवधि दिनांक 24.07.2025 तक 21339.83 मे0 टन चावल की आपूर्ति की गई है, जो लक्ष्य का मात्र 79.18 प्रतिशत है, जबकि राज्य का प्रतिशत 89.17 है। चावल आपूर्ति की अंतिम तिथि दिनांक 10.08.2025 निर्धारित है।

दिनांक 10.07.2025 तक आपके जिले में कुल अवशेष चावल 7347.84 मे0 टन के आलोक में मात्र 1762.52 मे0 टन चावल की आपूर्ति विगत दो सप्ताह में की गई है, जो अवशेष आपूर्ति का मात्र 24 प्रतिशत है।

दिनाक 25.07.2025 के प्रतिवेदनानुसार अवशेष दिनों के लिए वैशाली जिले का दैनिक लक्ष्य 328.25 मे0टन के आलोक में दिनांक 21.07.2025 को 143.57 मे0टन, दिनांक 22.07.2025 को 138. 45 मे0टन, दिनांक 23.07.2025 को 143.57 मे0 टन एवं दिनांक 24.07.2025 को 143.57 मे0 टन चावल की आपूर्ति की गई है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित लक्ष्य के आलोक में आपके जिले में चावल की आपूर्ति नही की जा रही है। उक्त कृत्य से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा समितियों का निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है।

विभागीय आदेशों का अनुपालन नहीं करनाः-- कार्यालय पत्रांक 1635 दिनांक 20.02.2025, पत्रांक 3137 दिनांक 07.04.2025, पत्रांक 3603 दिनांक 24.04.2025. पत्रांक 3953 दिनांक 07.05.2025, पत्रांक 4064 दिनांक 09.05.2025, पत्रांक 4618 दिनांक 27.05.2025, पत्रांक 5819 दिनांक 04.07. 2025 द्वारा ससमय चावल आपूर्ति एवं चावल आपूर्ति में प्रगति लाने हेतु स्पष्टीकरण किया गया था, परन्तु आपके द्वारा स्पष्टीकरण का जबाव भी अब तक नही दिया गया है और न ही चावल आपूर्ति में वांछित प्रगति लायी गयी है।

2. दैनिक वीडियों कॉन्फ्रेंस बैठक में चावल आपूर्ति में वांछित प्रगति लाने हेतु लगातार दिए गए निदेशों के बावजुद भी चावल आपूर्ति में वांछित प्रगति नही हो पा रही है।

3. आपका उपरोक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली--1976 के नियम-3(1)(i), (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल है।

20/08/25

(कुमारी आरती)

72

(4) चतुर्थ भाग – (क) दस्तावेजों की सूची

(जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो)

क्र०	संबंधित पत्र/अभिलेख	पृष्ठों की संख्या
1.	कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का पत्रांक–6639, दिनांक–29.07.2025.	कुल–1 पृष्ठ
2.	दिनांक 25.07.2025 का चावल आपूर्ति का दैनिक प्रतिवेदन ।	कुल–1 पृष्ठ
3.	कार्यालय पत्रांक–1635 दिनांक–20.02.2025, पत्रांक–3137 दिनांक–07.04.2025, पत्रांक–3603 दिनांक–24.04.2025, पत्रांक–3953 दिनांक–07.05.2025, पत्रांक–4064 दिनांक–09.05.2025, पत्रांक–4618 दिनांक–27.05.2025, पत्रांक–5819 दिनांक–04.07.2025.	कुल–7 पृष्ठ
4.	धान अधिप्राप्ति 2024–25 की मार्गदर्शिका एवं चावल आपूर्ति के विस्तारित अवधि की अधिसूचना।	कुल–17 पृष्ठ
		कुल–26 पृष्ठ

25/08/25

(कुमारी आरती)
विशेष कार्य पदाधिकारी।